

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना, वाराणसी जोन, वाराणसी।

01. वाराणसी जोन वाराणसी में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

02. जनसूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य:- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित परिक्षेत्रों/जनपदों को आन्तरित किया जाता है।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य:- अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना को परिक्षेत्र/जनपदों से प्राप्त कर जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना है।

03. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत आन्तरित कराना व सूचनाएं प्राप्त होने पर सूचना सम्बन्धित को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराना है।

04. विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से प्रज्ञप्त करना व समय सीमा के अन्तर्गत आवदेक को सूचना उपलब्ध कराना होता है।

05. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना व कराना ।

06. दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है।

- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
- शासन/अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्र
- पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
- अपीलीय प्रार्थना पत्र

07. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

08. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

09. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

10. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

11. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

12. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

13. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

14. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण- **शून्य**

15. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना-उक्त सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

16. लाके सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है।

क्र०सं०	पदनाम	कार्य
01.	प्रधान लिपिक/जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित परिक्षेत्रों/जनपदों को आन्तरित किया जाता है।
02.	वाचक/सहायक	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना को परिक्षेत्र/जनपदों से प्राप्त कर जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।

17. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।